"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 मई 2010—ज्येष्ठ 10, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्र. 5590/123/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-05-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 12 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (एक) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(दो) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(तीन) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

नई धारा का अंतःस्थापन.

2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 36-ङ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाए :—

"**36-च सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान के लिये शास्ति** :— जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों यथा-शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों/पूजा स्थलों, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरा पान करते हुए या मदिरा पान कर उत्पात करते हुए या मत्त पाया जाएगा वह जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिये दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, तथा पुनरावृत्त अपराध की दशा में जुर्माने से जो पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित होगा."

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्र. 5590/123/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2010)

THE CHHATTISGARH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Excise (Amendment) Act, 2010. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. After Section 36-E of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the following new section shall be inserted :— **Insertion of new section.**

"36-F. **Penalty for consumption of alcohol at public places.** —Except at the premises licensed for consumption of alcohol, any one is found consuming alcohol or creating nuisance after consuming alcohol or in intoxicated condition at public places like-educational institutions, hospitals, temples/places of worship, bus stand, railway station and public road etc., shall be punished with fine for the first offence which shall not be less than two hundred rupees but which may extend to five hundred rupees and in case of repeated offence with a fine of not less than five hundred rupees which may extend to one thousand rupees."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित– 2010.